## मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 30/07/2015

क्रमांक 343) /एएड-1/2015/2/34 विभागीय कार्यों की निविदा आमंत्रण हेतु कार्य विभाग मेन्युअल की एपेन्डिकस 2.10 (नवीन निविदा प्रपत्र) के क्लॉज 28, 29, 31 एवं 32 में निम्नानुसार मात्राएं राज्य शासन एतद द्वारा निर्धारित करता है:—

PARTICULARS OF VALUES TO BE ASSIGNED FOR VARIOUS CLAUSES OF NEW TENDER DOCUMENTS

Reference	Particulars	Values Applicable for PHED works
GCC Clause 28	Payment upon Termination	GCC Clause 28.1 - If the contract is terminated under clause 27.3, the Engineer shall issue a certificate showing the value of the work accepted on final measurements, less Advance Payments and penalty as indicated in the contract data. The amount so arrived at shall be determined by the Engineer-in-Charge and shall be final and binding on both the parties.  Contract Data- Clause Reference 28: Penalty shall include-  (a) Security deposit as per clause 30 and  (b) Liquidated damages imposed as per clause 15 of General Conditions of Contract or Performance Guarantee whichever is higher.
Clause 29	Performance Security	Performance Security @ 5% of contract value:  (a) In the form of Fixed Deposit Receipt of any Nationalised / Scheduled Commercial Bank for works upto Rs. 50.00 lacs  (b) In the form of Bank Guarantee of any Nationalised / Scheduled Commercial Bank for works above Rs. 50.00 lacs
Clause 31	Price Adjustment	<ul> <li>(a) For Tenders upto 5.00 crores - not payable in any case.</li> <li>(b) For Tenders costing more than 5.00 crores not payable except in cases governed by force Majeure. Even in the cases of Force Majeure, price adjustment will be limited to cement, steel and P.O.L. items only.</li> </ul>
Clause 32	Mobilization and construction machinery advance secured Advance.	No Mobilization Advance shall be payable.

(एन.के.वैद्यं) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमांक 3432/स्फेन/2015/2/34 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 30/07/2015

विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर वित्त विभाग की टीप क्र. 607/आर-749 दिनांक 03.11.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके आदेश क्रमांक एफ 53/16/2012/19/यो./4065 भोपाल दिनांक 01.07.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर टीप क्र. 298 दिनांक 13.05.2015 के सदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

 मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विमाग